संख्या-14/2023/121/छप्पन-2023-43/2015-56-1002/11/2019

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 13 फरवरी, 2023

विषय: राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे Main Rotor Blades Qty: 04 तथा Tail Rotor Blade Qty: 01 को AOG तथा Exchange के आधार पर क्रय करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-252/ना0उ0नि0/इंजी/यू0पी0एल0/11-आई/2023 दिनांक 24 जनवरी, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भित पत्र में अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे Main Rotor Blades Qty: 04 तथा Tail Rotor Blade Qty: 01 को निमार्ता फर्म मेसर्स लियोनार्डो, मलेशिया से क्रय करने हेतु यू०एस० डालर 483398.22 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 84/- यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रूपये 4,06,05,450.48 अर्थात् कुल रुपये 4,06,05,450/- (रूपये चार करोड़ छः लाख पाँच हजार चार सौ पचास) तथा उक्त धनराशि का भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से होने पर कुल धनराशि का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में रूपए 40,60,545/- तथा निदेशालय में सम्बद्ध कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स जे0बी0के0 लाजिस्टिक्स नई दिल्ली से आयात पर अनुषांगिक व्यय (कस्टम ड्यूटी, जी0एस0टी0, फ्रेट चार्जेज इत्यादि) के रूप में रू0 51,50,000/- अर्थात रूपए 4,98,15,995/- (रूपए चार करोड़ अठ्ठानवे लाख पन्द्रह हजार नौ सौ पन्चानवे मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति तथा निर्माता फर्म को ए0ओ0जी0 (एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउण्ड) बेसिस पर क्रय आदेश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय अगुस्ता हेलीकाप्टर ए109एस वी0टी0-यू0पी0एल0 में लगे Main Rotor Blades Qty: 04 तथा Tail Rotor Blade Qty: 01 को निमार्ता फर्म मेसर्स लियोनार्डो, मलेशिया से क्रय करने हेतु कुल रू0 4,98,15,995/- (रूपए चार करोड़ अठ्ठानवे लाख पन्द्रह हजार नौ सौ पन्चानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से संबंधित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

2/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

6- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

7- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं हैं तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

8- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

9- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

10- यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

11- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्ताकिंत आकड़ों में किया जायेगा।

13- निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-307/दस-2023 दिनांक 10 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

3/.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 14/2023/121 (1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।